संख्या– 26 /60–3–13–3(42)/97

प्रेषक,

कामिनी चौहान रतन,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2014

विषयः– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध आदि के संबंध में।

महोदय

रिट पिटीशन संख्या–(क्रि0मि0)665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.8.1997 के अनुपालन में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेध करने हेतु संविधान की धारा–32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये हैं और उसी कम में संविधान की धारा–141 के अधीन कानून घोषित किया गया। उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –696– 60–3–97 3(42)/97 दिनॉक 28.11.1997 द्वारा जिसके कम में शासनादेश द्वारा प्रत्येक कार्यालय/संस्थान (निजी/सरकारी/ अर्धसरकारी) में निम्नवत् शिकायत समिति का गठन कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है :–

1. महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
2. इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
3. एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उक्त के कम में समिति को अपने कार्य को सुचारु रुप से करने हेतु एक आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।

2– यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

3– महिला एवं बाल विकास विभाग के परिपत्र संख्या–679/60–3–97–3 (42)/97, दिनांक 28.11.1997, परिपत्र संख्या–241भा0स0/60–3–03– 3(42)/97, दिनांक–22.10.2003 तथा पत्र संख्या–701/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 16.04.2001, संख्या–169/60–3–01–3(42)/1997, दिनांक–30 जुलाई, 2001 तथा संख्या–2762/60–3–05–3(42)/97, दिनांक 29.12.2005 के द्वारा शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट नियमित रुप से उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है।

4– रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनॉक 13.08.1997 के पूर्ण अनुपालन

कराये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में एक रिट पिटीशन (सिविल संख्या–173–177/1999 मेधा कोटवाल लेले व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य) मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को निर्णय पारित किया गया, जिसके कार्यकारी आदेश निम्नवत् है :–

In what we have discussed above, we are of the considered view that guidelines in Vishaka should not remain symbolic and the following further directions are necessary until legislative enactment on the subject is in place.

(i) The State and Union Territories which have not yet carried out adequate and appropriate amendments in their respective Civil Services Conduct Rules (By whatever name these Rules are called) shall do so within two months from today by providing that the report of the Complaints Committee shall be deemed to be an inquiry report in a disciplinary action under such Civil Services Conduct Rules. In other words, the disciplinary authority shall treat the report/ findings etc. of the Complaint employee and shall act on such report accordingly. The findings and the report of the Complaints Commettee Shall not be treated as a mere preliminary investigation or inquiry leading to a discilinary action but shall be treated as a finding/report in an in quiry in to the misconduct of the delinquent.

(ii) The State and Union Territories which have not carried out amendments in the Industrial Employment (Standing Orders) Rules shall now carry out amendments on the same lines, as noted above in clause (i) within two months.

(iii) The State and Union Terrtories shall form adequate number of Complaints Committees so as to ensure that they function at taluka level, district level and state level. Those States and/or Union Territories which have formed only one Committee for the entire State shall now form adequate number of Complaints Committees within two months from today. Each of such Complints Committees shall be headed by a woman and as far as possible in such Complints Committees an independent member shall be associated.

(iv) The State functionaries and private and public sector undertakings/ oranisations/bodies/institutions etc. shall put in place sufficient mechanism to ensure full implementation of the Vishaka guidelines and further provde that if the alleged harasser is found quilty, the complainant-victim is not forced to work with/under such harasser and where appropriate and possible the alleged harasser should be transferred. Further provision should be made that harassment and intimidation of witnesses and the Complainants shall be met with severe disciplinary action.

(v) The Bar Council of India shall ensure that all bar associations in the country and persons registered with the State Bar Councils follow the Vishaka guidelines. Similary, Medical Council of India. Council of Architecture, Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries and other Statutory Insitutes shall ensure that the organisations, bodies, associations, institutions and persons resistered/ affiliacte with them follow the guidelines laid down by Vishaka. To achieve this, necessary instructions/circulars shall be issued by all the statutory bodies such as Bar Council of India, Medical Council of India.

Council of Architecture, Institute of Company Secretaries within two months from today. On receipt of any complaints of sexual harassment at any of the places referred to above the same shall be dealt with by the statutory bodies in accordance with the Vishaka guidelines and the guidelines in the present order.

5– इस सम्बन्ध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सरकार, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) हेतु अधिनियम दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 प्रख्यापित की गई है। उक्त अधिसूचना दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वेबसाइट– www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है।

6– अतः अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ विभागों/कार्यालयों में रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य तथा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या–173–177/1999 मेधा कोटवाल लेले व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेश क्रमशः दिनॉक 13.08.1997 तथा 19.10.2012 एवं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09.12.2013 के दिशा–निर्देशों का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना नियमित रूप से निदेशक, महिला कल्याण (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

9/1/14

(कामिनी चौहान रतन)
सचिव।

संख्या–26 (1)/60–3–13–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ0प्र0 शासन को विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नागर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
5. निदेशक, महिला कल्याण को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस संबंध में समस्त विभागों से समय–समय पर सूचना संकलित कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अमरेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

d:sri dutt/go 13

अति महत्वपूर्ण
संख्या–85/60–3–11–3(42)/97 58

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन
2–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3–समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी,2011

विषय:– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न प्रतिषेध आदि के संबंध में।

महोदय,

रिट पिटीशन संख्या–(क्रि0मि0) 665–70/92 विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 13–8–1997 के निर्णय में संविधान की धारा–32 एवं 141 के अन्तर्गत उपरोक्त विषय पर कतिपय मार्गदर्शक सिद्वान्त एवं मापदण्ड प्रतिपादित किये थे और उसी क्रम में संविधान की धारा 141 के अधीन कानून घोषित किया गया। इस संबध में महिलाओं के यौन उत्पीड़न व मानसिक यातनाओं के निवारण हेतु प्रदेश के सभी कार्यालय/विभागों में शिकायत समिति गठित करने एवं समिति की वार्षिक रिपोर्ट बनाने के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में तत्कालीन प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती मंजुलिका गौतम के अर्धशासकीय पत्र संख्या–696/60–3–97–3(42)/97, दिनाक 28–11–1997 द्वारा मा0 न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करा कर अपने विभाग से संबंधित नियमों/कानूनों में अपेक्षित संशोधन कराने हेतु अधीनस्थ सभी सरकारी प्रतिष्ठानों/संगठनों को भी अवगत करा कर कड़ाई से अनुपालन कराने के आवश्यक निर्देश जारी किये गये।

2– कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न का प्रतिषेध अधिनियम तथा इसी के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देश सरकारी/अर्धसरकारी विभागों, निगमों, उपक्रमों, निकायों, सोसाइटीज, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सहकारी समितियॉ जो अधिनियम 1965 में पंजीकृत हैं तथा निजी क्षेत्र (श्रम विभाग के अन्तर्गत आने वाले समस्त क्षेत्र), सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थानों में भी लागू किया गया ताकि उत्पीड़न से संबंधित उपरोक्त "ला आफ द लैण्ड" का क्रियान्वयन सशक्त रुप में कार्यान्वित हो सके।

3– मा0 उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक कार्यालय/संस्थान(निजी सरकारी/अर्धसरकारी) में शिकायत समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) महिला सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के आधी से कम नहीं होगी।
(2) इस समिति का अध्यक्ष एक महिला सदस्य को बनाया जायेगा।
(3) एक गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) जो महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रतिषेध के क्षेत्र में कार्य करने हेतु प्रतिष्ठित हो, को भी इस समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

उपरोक्त समिति को अपने कार्य को सुचारु रुप से करने हेतु एक आवश्यक सेक्रेटेरियल असिस्टेंट संबंधित संस्थान द्वारा प्रदान की जायेगी।

4– यह समिति अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट बनायेगी और उस संस्थान के यौन उत्पीड़न के मामलों और उनके प्रकाश में आने पर कृत कार्यवाही का विवरण तथा अपने सुझाव संस्था के मुख्य कार्यकारी को प्रस्तुत करेगी।

5– संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे इस संबध में एक सुस्पष्ट विवरण, जिसमें उनके द्वारा कृत कार्यवाही तथा शिकायत समिति की रिपोर्ट संलग्न हो, राज्य सरकार के संबंधित विभाग को उपलब्ध करायेगी।

निजी क्षेत्र के संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिकायत समिति की रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही का विवरण अपनी सामान्य सभा की मीटिंग में प्रस्तुत करेंगें।

6– इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त के अनुक्रम में तत्कालीन सचिव,महिला एवं बाल विकास विभाग,उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–679/60–3–97–(42)/97, दिनांक–28–11–1997, दिनांक–30.3.2001 एवं परिपत्र संख्या–241भा0स0/60–3–03–3(42)/97, दिनांक 22.10.03तथा महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 के पार्श्वांकित पत्रों द्वारा शिकायत समिति की वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया था किन्तु अभी तक कतिपय विभागों से ही मात्र शिकायत समितियों के गठन करने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। समिति की वार्षिक रिपोर्ट किसी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार से निरंतर अनुपालन आख्या/प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है।

1–पत्र सं0–701/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 16.4.01
2–पत्र सं0–169/60–3–01–3(42)/97, दिनांक 30–7–01
3–पत्र सं0–2762/60–3–05–3(42)/97, दिनांक 29–12–2005
4–पत्र सं0–2054/60–3–10–3(42)/97 दिनांक 22–11–2010

7– अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ/विभागों/कार्यालयों से प्रश्नगत प्रकरण में वांछित सूचनाएं समयबद्ध रुप से प्राप्त कर संकलित सूचना अविलम्ब निदेशक, महिला कल्याण विभाग (नोडल अधिकारी) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय तथा मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार को प्रगति से अवगत कराया जा सके। चूकिं प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या–85(1)/60–3–11–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरों, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपकमों/निगमों के संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

2– प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के संदर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।

3– प्रमुख सचिव, शिक्षा,उ0प्र0 शासन को विश्व विद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।

आज्ञा से,

(आ0 प्रभा मिश्रा)
उप सचिव।

125

महत्वपूर्ण / मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण
संख्या–741 / 60–3–2023 सी–1723848 / 23

प्रेषक,

वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2023

महिला कल्याण अनुभाग–3

विषय–मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :–

1- The Union of India, all State Government and Union Territories are directed to undertake a timebound excersice to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organization, authorities, Public Sector Undertakings, institution, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provision of the PoSH Act.

2- It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact number of the designated person (s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/ Organisation/Institution/Body as the case may be. The information furnised shall also be updated from time to time.

3- A similar exercise shall be undertaken by all the statutory bodies of professional at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyer, architects, chartered, accountants, cost accountant, engineers, bankers and other professional) by Universities colleges, Training Centres and educational institution and by government and private hospital/nursing homes.

4- Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/managements/ employer to familiarize member of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which and inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

5- The authorities/management/employer shall regularly conduct orientation programmes, workplace, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and to educate women employees and women's group about the provision of the Act, the Rules and relevant regulation.

2— मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत सिविल अपील में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् किया जाना है :—

(i) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आन्तरिक परिवाद समिति" (ICC) का गठन करेगा, परन्तु जहाँ कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न–भिन्न स्थानों या खण्डीय या उप खण्डीय स्थलों पर स्थित हैं, वहाँ आन्तरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जायेगी।

(ii) प्रत्येक जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे स्थानों में जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आन्तरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गयी हो, या परिवाद स्वयं नियोज़क के विरूद्ध हो, वहाँ "स्थानीय परिवाद समिति" (LCC) का गठन किया जायेगा।

(iii) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी अधिनियम की उपधारा–1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा परन्तु यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसे एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित मुद्दों से परिचित है परन्तु इस प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलायें होंगी।

(घ) आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(iv) गठित आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/समितियों में नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों का विवरण, उनके ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष का विवरण, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आंतरिक पालिसी इत्यादि का विवरण प्रत्येक प्राधिकारी, संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाय।

(v) उपर्युक्त कार्यवाही शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों सें सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायों (All the Statutory bodies of Professionals) यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखक, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स आदि के द्वारा भी की जाय।

(vi) अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित ICCs/LCs/ICs के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट/जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार सम्पादित किये जाने के विषय से अवगत कराये जाने हेतु तत्काल व प्रभावी कदम उठाये जाय।

(vii) आन्तरित परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/आन्तरिक समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यकमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यकमों का आयोजन कराया जाय।

3– सूच्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' प्रख्यापित किया गया है। यह अधिनियम प्रख्यापन की तिथि से पूरे भारत वर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या–1मु0मं0/60–3–14–13(7)/14, दिनांक 09.06.2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही अतिशीघ्र कराने तथा अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा करते हुये समय–समय पर वांछित समितियों के गठन तथा शिकायतों के निस्तारण के निर्देश भी दिये गये हैं।

4– अवगतार्थ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 (प्रति संलग्न) के अनुपालन में मुख्य सचिव महोदय की ओर से 'शपथ–पत्र' मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल किया जाना है।

5– उपर्युक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक

12.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' का प्रभावी कियान्वयन कराये जाने हेतु 'संलग्न प्रारूप' पर वांछित सूचना शीर्ष प्राथमिकता पर एक सप्ताह के भीतर ई–मेल आई0डी0–sdmcdwwup@gmail.com/mahilakalyan242@gmail.com पर तथा हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ–पत्र तैयार कराकर समय से मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जा सके।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीया,

(वीना कुमारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से कि अपने विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों की समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप में निदेशक, महिला कल्याण को ई–मेल आई0डी0–sdmcdwwup@gmail.com/mahilakalyan242@gmail.com पर प्राथमिकता पर उपलब्ध करायें।

3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से कि प्रकरण में वांछित सूचना यथाशीघ्र शासन को कृपया उपलब्ध करायें, जिससे मुख्य सचिव महोदय की ओर से शपथ–पत्र तैयार कराकर मा0 न्यायालय में दाखिल कराया जा सके।

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

प्रारूप

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में दिये गये निर्देशों के क्रम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रारूप :–

विभाग का नाम–

क्र. सं.	विवरण	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ समस्त कार्यालयों में अधिनियम 2013 की धारा–4 के अनुरूप नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समितियां गठित हैं?			
2	क्या उपरोक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समितियों में नाम निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों के ई मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आन्तरिक पालिसी इत्यादि का विवरण आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है?			
3	क्या शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी संविधिक निकायों यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखकार, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स के द्वारा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अनुरूप आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन करते हुये उसका विवरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ?			
4	क्या आपके विभाग के अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार संपादित किये जाने के विषय से अवगत कराया गया है?			
5	क्या आपके विभाग के अधीनस्थ गठित समस्त आन्तरिक परिवाद समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है?			

टिप्पणी–कृपया उपरोक्त सभी सूचनायें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

(सुनील कुमार सिंह)
अपर सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
उ0 प्र0 शासन।

महत्वपूर्ण / मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण
संख्या–739 / 60–3–2023–सी–1723848 / 23

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2023

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :

1. The Union of India, all State Government and Union Territories are directed to undertake a timebound excersice to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organization, authorities, Public Sector Undertakings, Institution, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provision of the PoSH Act.

2. It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact number of the designated person (s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/ Organisation/Institution/Body as the case may be. The information furnised shall also be updated from time to time.

3. A similar exercise shall be undertaken by all the statutory bodies of professional at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyer, architects, chartered, accountants, cost accountant, engineers, bankers and other professional) by Universities colleges, Training Centres and educational institution and by government and private hospital/nursing homes.

4. Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/managements/ employer to familiarize member of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which and inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

5. The authorities/management/employer shall regularly conduct orientation programmes, workplace, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and to educate women employees and women's group about the provision of the Act, the Rules and relevant regulation.

2. मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत सिविल अपील में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् किया जाना है :

(i) 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आंतरिक परिवाद समिति" (ICC) का गठन करेगा परन्तु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न–भिन्न स्थानों या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे स्थापनों में जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई हो, या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो, वहां 'स्थानीय परिवाद समिति' (LCC) का गठन किया जायेगा।

(iii) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी अधिनियम की उपधारा–1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा परन्तु यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसे एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित

मुद्दों से परिचित है परन्तु इसमें प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलायें होंगी।

(घ) आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(iv) गठित आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/समितियों में नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों का विवरण, उनके ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष का विवरण, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आंतरिक पालिसी इत्यादि का विवरण प्रत्येक प्राधिकारी, संस्था की वेवसाइट पर उपलब्ध करायां जाय।

(v) उपर्युक्त कार्यवाही शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायों (All the Statutory bodies of Professionals) यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखक, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स आदि के द्वारा भी की जाय।

(vi) अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित ICCs/LCs/ICs के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट/जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार सम्पादित किये जाने के विषय से अवगत कराये जाने हेतु तत्काल व प्रभावी कदम उठाये जाय।

(vii) आन्तरित परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/आन्तरिक समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।

3. सूच्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' प्रख्यापित किया गया है। यह अधिनियम प्रख्यापन की तिथि से पूरे भारत वर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या–1मु0मं0/60–3–14–13(7)/14, दिनांक 09.06.2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही अतिशीघ्र कराने तथा अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा करते हुये समय–समय पर वांछित समितियों के गठन तथा शिकायतों के निस्तारण के निर्देश भी दिये गये हैं।

4. अस्तु, कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों का यथाशीघ्र अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 06-07-2023 17:59:05
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपकमों/निगमों के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सन्दर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ0प्र0 शासन को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नगर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
5. निबन्धक, सोसाइटीज चिट फण्ड, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में पंजीकृत समस्त फर्म एवं संगठनों में आन्तरिक परिवाद समिति (ICC) का नियमानुसार गठन कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. अध्यक्ष, बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश।
7. उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

*REVISED ROP ONLY FOR APPEARANCE

ITEM NO.1501 COURT NO.17 SECTION III

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 2482/2014

AURELIANO FERNANDES Appellant(s)

VERSUS

STATE OF GOA & ORS. Respondent(s)

Date : 12-05-2023 This appeal was called on for pronouncement of judgment today.

For Appellant(s) Mr. Bishwajit Bhattacharyya, Sr. Adv.
*Mr. Atul Jha, Adv.
Mr. Pragyan Pradip Sharma, Adv.
Mr. Sandeep Jha, Adv.
Mr. N. B. V. Srinivasa Reddy, Adv.
Mr. P. V. Yogeswaran, AOR

For Respondent(s) Ms. Ruchira Gupta, Adv.
Mr. Shishir Deshpande, AOR
Ms. Harshita Sharma, Adv.
Mr. Deep Narayan Sarkar, Adv.

Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli pronounced the judgment of the Bench comprising Hon'ble Mr. Justice A.S. Bopanna and Her Ladyship.

The appeal is allowed in terms of the signed reportable judgment. The conclusion (Paragraph Nos.70-73) and directions (Paragraph Nos. 77-78) in the judgment are reproduced hereunder:

"M. CONCLUSION

70 In the instant case, though the Committee appointed by the Disciplinary Authority did not hold an inquiry strictly in terms of the step-by-step procedure laid down in Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, nonetheless, we have seen that it did furnish copies of all the complaints, the

Signature Not Verified

depositions of the complainants and the relevant material to the appellant, called upon him to give his reply in defence and directed him to furnish the list of witnesses that he proposed to rely on. Records also reveal that the appellant had furnished a detailed reply in defence. He had also submitted a list of witnesses and depositions. This goes to show that he was well-acquainted with the nature of allegations levelled against him and knew what he had to state in his defence. Given the above position, non-framing of the articles of charge cannot be said to be detrimental to the interest of the appellant.

71. In fact, the glaring defects and the procedural lapses in the inquiry proceedings took place only thereafter, in the month of May, 2009, when 12 hearings, most of them back-to-back, were conducted by the Committee at a lightning speed. On the one hand, the Committee kept on forwarding to the appellant, depositions of some more complainants received later on and those of other witnesses and called upon him to furnish his reply and on the other hand, it directed him to come prepared to cross-examine the said complainants and witnesses as also record his further deposition, all in a span of one week. Even if the medical grounds taken by the appellant seemed suspect, the Committee ought to have given him reasonable time to prepare his defence, more so when his request for being represented through a lawyer had already been declined. It was all this undue anxiety that had led to short-circuiting the inquiry proceedings conducted by the Committee and damaging the very fairness of the process.

72. For the above reasons, the appellant cannot be faulted for questioning the process and its outcome. There is no doubt that matters of this nature are sensitive and have to be handled with care. The respondents had received as many as seventeen complaints from students levelling serious allegations of sexual harassment against the appellant. But that would not be a ground to give a complete go by to the procedural fairness of the inquiry required to be conducted, more so when the inquiry could lead to imposition of major penalty proceedings. When the legitimacy of the

decision taken is dependent on the fairness of the process and the process adopted itself became questionable, then the decision arrived at cannot withstand judicial scrutiny and is wide open to interference. It is not without reason that it is said that a fair procedure alone can guarantee a fair outcome. In this case, the anxiety of the Committee of being fair to the victims of sexual harassment, has ended up causing them greater harm.

73. This Court is, therefore, of the opinion that the proceedings conducted by the Committee with effect from the month of May, 2009, fell short of the *"as far as practicable"* norm prescribed in the relevant Rules. The discretion vested in the Committee for conducting the inquiry has been exercised improperly, defying the principles of natural justice. As a consequence thereof, the impugned judgment upholding the decision taken by the EC of terminating the services of the appellant, duly endorsed by the Appellate Authority cannot be sustained and is accordingly quashed and set aside with the following directions:

(i) The matter is remanded back to the Complaints Committee to take up the inquiry proceeding as they stood on 5th May 2009.
(ii) The Committee shall afford adequate opportunity to the appellant to defend himself.
(iii) The appellant shall not seek any adjournment of the proceedings.
(iv) A Report shall be submitted by the Committee to the Disciplinary Authority for appropriate orders.
(v) Having regard to the long passage of time, the respondents are directed to complete the entire process within three months from the first date of hearing fixed by the Committee.
(vi) The procedure to be followed by the Committee and the Disciplinary Authority shall be guided by the principles of natural justice.
(vii) The Rules applied will be as were applicable at the relevant point of time.
(viii) The decision taken by the Committee and the Disciplinary Authority shall be purely on merits and in accordance with law.
(ix) The appellant will not be entitled to claim immediate reinstatement or back wages till the

inquiry is completed and a decision is taken by the Disciplinary Authority.

O. DIRECTIONS

77. To fulfil the promise that the PoSH Act holds out to working women all over the country, it is deemed appropriate to issue the following directions :

(I) The Union of India, all State Governments and Union Territories are directed to undertake a timebound exercise to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organizations, authorities, Public Sector Undertakings, institutions, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provisions of the PoSH Act.

(ii) It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact numbers of the designated person(s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/Organisation/Institution/Body , as the case may be. The information furnished shall also be updated from time to time.

(iii) A similar exercise shall be undertaken by all the Statutory Bodies of professionals at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyers, architects, chartered accountants, cost accountants, engineers, bankers and other professionals), by Universities, colleges, Training Centres and educational institutions and by government and private hospitals/nursing homes.

(iv) Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/ managements/employers to familiarize members of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which an inquiry ought to

be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

(v) The authorities/management/employers shall regularly conduct orientation programmes, workshops, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and women's groups about the provisions of the Act, the Rules and relevant regulations.

(vi) The National Legal Services Authority(NALSA) and the State Legal Services Authorities(SLSAs) shall develop modules to conduct workshops and organize awareness programmes to sensitize authorities/managements/employers, employees and adolescent groups with the provisions of the Act, which shall be included in their annual calendar.

(vii) The National Judicial Academy and the State Judicial Academies shall include in their annual calendars, orientation programmes, seminars and workshops for capacity building of members of the ICCs/LCs/ICs established in the High Courts and District Courts and for drafting Standard Operating Procedures (SOPs) to conduct an inquiry under the Act and Rules.

(viii) A copy of this judgment shall be transmitted to the Secretaries of all the Ministries, Government of India who shall ensure implementation of the directions by all the concerned Departments, Statutory Authorities, Institutions, Organisations etc. under the control of the respective Ministries. A copy of the judgment shall also be transmitted to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories who shall ensure strict compliance of these directions by all the concerned Departments. It shall be the responsibility of the Secretaries of the Ministries, Government of India and the Chief Secretaries of every State/Union Territory to ensure implementation of the directions issued.

(ix) The Registry of the Supreme Court of India shall transmit a copy of this judgment to the

Director, National Judicial Academy, Member Secretary, NALSA, Chairperson, Bar Council of India and the Registrar Generals of all the High Courts. The Registry shall also transmit a copy of this judgment to the Medical Council of India, Council of Architecture, Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries and the Engineering Council of India for implementing the directions issued.

(x) Member-Secretary, NALSA is requested to transmit a copy of this judgment to the Member Secretaries of all the State Legal Services Authorities. Similarly, the Registrar Generals of the State High Courts shall transmit a copy of this judgment to the Directors of the State Judicial Academies and the Principal District Judges/District Judges of their respective States.

(xi) The Chairperson, Bar Council of India and the Apex Bodies mentioned in sub-para (ix) above, shall in turn, transmit a copy of this judgment to all the State Bar Councils and the State Level Councils, as the case may be.

78. The Union of India and all States/UTs are directed to file their affidavits within eight weeks for reporting compliances. List after eight weeks."

(NEETU KHAJURIA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(R.S. NARAYANAN)
COURT MASTER

(Signed reportable judgment is placed on the file.)

ITEM NO.1501 COURT NO.17 SECTION III

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 2482/2014

AURELIANO FERNANDES Appellant(s)

VERSUS

STATE OF GOA & ORS. Respondent(s)

Date : 12-05-2023 This appeal was called on for pronouncement of judgment today.

For Appellant(s) Mr. Bishwajit Bhattacharyya, Sr. Adv.
Mr. Arul Jha, Adv.
Mr. Pragyan Pradip Sharma, Adv.
Mr. Sandeep Jha, Adv.
Mr. N. B. V. Srinivasa Reddy, Adv.
Mr. P. V. Yogeswaran, AOR

For Respondent(s) Ms. Ruchira Gupta, Adv.
Mr. Shishir Deshpande, AOR
Ms. Harshita Sharma, Adv.
Mr. Deep Narayan Sarkar, Adv.

Hon'ble Ms. Justice Hima Kohli pronounced the judgment of the Bench comprising Hon'ble Mr. Justice A.S. Bopanna and Her Ladyship.

The appeal is allowed in terms of the signed reportable judgment. The conclusion (Paragraph Nos.70-73) and directions (Paragraph Nos. 77-78) in the judgment are reproduced hereunder:

"M. CONCLUSION

70 In the instant case, though the Committee appointed by the Disciplinary Authority did not hold an inquiry strictly in terms of the step-by-step procedure laid down in Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, nonetheless, we have seen that it did furnish copies of all the complaints, the depositions of the complainants and the relevant

material to the appellant, called upon him to give his reply in defence and directed him to furnish the list of witnesses that he proposed to rely on. Records also reveal that the appellant had furnished a detailed reply in defence. He had also submitted a list of witnesses and depositions. This goes to show that he was well-acquainted with the nature of allegations levelled against him and knew what he had to state in his defence. Given the above position, non-framing of the articles of charge cannot be said to be detrimental to the interest of the appellant.

71. In fact, the glaring defects and the procedural lapses in the inquiry proceedings took place only thereafter, in the month of May, 2009, when 12 hearings, most of them back-to-back, were conducted by the Committee at a lightning speed. On the one hand, the Committee kept on forwarding to the appellant, depositions of some more complainants received later on and those of other witnesses and called upon him to furnish his reply and on the other hand, it directed him to come prepared to cross-examine the said complainants and witnesses as also record his further deposition, all in a span of one week. Even if the medical grounds taken by the appellant seemed suspect, the Committee ought to have given him reasonable time to prepare his defence, more so when his request for being represented through a lawyer had already been declined. It was all this undue anxiety that had led to short-circuiting the inquiry proceedings conducted by the Committee and damaging the very fairness of the process.

72. For the above reasons, the appellant cannot be faulted for questioning the process and its outcome. There is no doubt that matters of this nature are sensitive and have to be handled with care. The respondents had received as many as seventeen complaints from students levelling serious allegations of sexual harassment against the appellant. But that would not be a ground to give a complete go by to the procedural fairness of the inquiry required to be conducted, more so when the inquiry could lead to imposition of major penalty proceedings. When the legitimacy of the decision taken is dependent on the fairness of the

process and the process adopted itself became questionable, then the decision arrived at cannot withstand judicial scrutiny and is wide open to interference. It is not without reason that it is said that a fair procedure alone can guarantee a fair outcome. In this case, the anxiety of the Committee of being fair to the victims of sexual harassment, has ended up causing them greater harm.

73. This Court is, therefore, of the opinion that the proceedings conducted by the Committee with effect from the month of May, 2009, fell short of the *"as far as practicable"* norm prescribed in the relevant Rules. The discretion vested in the Committee for conducting the inquiry has been exercised improperly, defying the principles of natural justice. As a consequence thereof, the impugned judgment upholding the decision taken by the EC of terminating the services of the appellant, duly endorsed by the Appellate Authority cannot be sustained and is accordingly quashed and set aside with the following directions:

(i) The matter is remanded back to the Complaints Committee to take up the inquiry proceeding as they stood on 5th May 2009.
(ii). The Committee shall afford adequate opportunity to the appellant to defend himself.
(iii) The appellant shall not seek any adjournment of the proceedings.
(iv) A Report shall be submitted by the Committee to the Disciplinary Authority for appropriate orders.
(v) Having regard to the long passage of time, the respondents are directed to complete the entire process within three months from the first date of hearing fixed by the Committee.
(vi) The procedure to be followed by the Committee and the Disciplinary Authority shall be guided by the principles of natural justice.
(vii) The Rules applied will be as were applicable at the relevant point of time.
(viii) The decision taken by the Committee and the Disciplinary Authority shall be purely on merits and in accordance with law.
(ix) The appellant will not be entitled to claim immediate reinstatement or back wages till the inquiry is completed and a decision is taken by the

Disciplinary Authority.

O. DIRECTIONS

77. To fulfil the promise that the PoSH Act holds out to working women all over the country, it is deemed appropriate to issue the following directions :

(I) The Union of India, all State Governments and Union Territories are directed to undertake a timebound exercise to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organizations, authorities, Public Sector Undertakings, institutions, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provisions of the PoSH Act.

(ii) It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact numbers of the designated person(s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/Organisation/Institution/Body , as the case may be. The information furnished shall also be updated from time to time.

(iii) A similar exercise shall be undertaken by all the Statutory bodies of professionals at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyers, architects, chartered accountants, cost accountants, engineers, bankers and other professionals), by Universities, colleges, Training Centres and educational institutions and by government and private hospitals/nursing homes.

(iv) Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/ managements/employers to familiarize members of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which an inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual

harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

(v) The authorities/management/employers shall regularly conduct orientation programmes, workshops, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and women's groups about the provisions of the Act, the Rules and relevant regulations.

(vi) The National Legal Services Authority(NALSA) and the State Legal Services Authorities(SLSAs) shall develop modules to conduct workshops and organize awareness programmes to sensitize authorities/managements/employers, employees and adolescent groups with the provisions of the Act, which shall be included in their annual calendar.

(vii) The National Judicial Academy and the State Judicial Academies shall include in their annual calendars, orientation programmes, seminars and workshops for capacity building of members of the ICCs/LCs/ICs established in the High Courts and District Courts and for drafting Standard Operating Procedures (SOPs) to conduct an inquiry under the Act and Rules.

(viii) A copy of this judgment shall be transmitted to the Secretaries of all the Ministries, Government of India who shall ensure implementation of the directions by all the concerned Departments, Statutory Authorities, Institutions, Organisations etc. under the control of the respective Ministries. A copy of the judgment shall also be transmitted to the Chief Secretaries of all the States and Union Territories who shall ensure strict compliance of these directions by all the concerned Departments. It shall be the responsibility of the Secretaries of the Ministries, Government of India and the Chief Secretaries of every State/Union Territory to ensure implementation of the directions issued.

(ix) The Registry of the Supreme Court of India shall transmit a copy of this judgment to the Director, National Judicial Academy, Member

Secretary, NALSA, Chairperson, Bar Council of India and the Registrar Generals of all the High Courts. The Registry shall also transmit a copy of this judgment to the Medical Council of India, Council of Architecture, Institute of Chartered Accountants, Institute of Company Secretaries and the Engineering Council of India for implementing the directions issued.

(x) Member-Secretary, NALSA is requested to transmit a copy of this judgment to the Member Secretaries of all the State Legal Services Authorities. Similarly, the Registrar Generals of the State High Courts shall transmit a copy of this judgment to the Directors of the State Judicial Academies and the Principal District Judges/District Judges of their respective States.

(xi) The Chairperson, Bar Council of India and the Apex Bodies mentioned in sub-para (ix) above, shall in turn, transmit a copy of this judgment to all the State Bar Councils and the State Level Councils, as the case may be.

78. The Union of India and all States/UTs are directed to file their affidavits within eight weeks for reporting compliances. List after eight weeks."

(NEETU KHAJURIA)
ASTT. REGISTRAR-cum-PS

(R.S. NARAYANAN)
COURT MASTER

(Signed reportable judgment is placed on the file.)

123

I/347100/2023

File No.60-3099/44/2023- -3-

महत्वपूर्ण / मा0 उच्चतम न्यायालय प्रकरण
संख्या–739 / 60–3–2023–सी–1723848 / 23

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जुलाई, 2023

विषयः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये हैं :

1. The Union of India, all State Government and Union Territories are directed to undertake a timebound excersice to verify as to whether all the concerned Ministries, Departments, Government organization, authorities, Public Sector Undertakings, Institution, bodies, etc. have constituted ICCs/LCs/ICs, as the case may be and that the composition of the said Committees are strictly in terms of the provision of the PoSH Act.

2. It shall be ensured that necessary information regarding the constitution and composition of the ICCs/LCs/ICs, details of the e-mail IDs and contact number of the designated person (s), the procedure prescribed for submitting an online complaint, as also the relevant rules, regulations and internal policies are made readily available on the website of the concerned Authority/Functionary/ Organisation/Institution/Body as the case may be. The information furnished shall also be updated from time to time.

3. A similar exercise shall be undertaken by all the statutory bodies of professional at the Apex level and the State level (including those regulating doctors, lawyer, architects, chartered, accountants, cost accountant, engineers, bankers and other professional) by Universities colleges, Training Centres and educational institution and by government and private hospital/nursing homes.

Scanned with CamScanner

4. Immediate and effective steps shall be taken by the authorities/managements/ employer to familiarize member of the ICCs/LCs/ICs with their duties and the manner in which and inquiry ought to be conducted on receiving a complaint of sexual harassment at the workplace, from the point when the complaint is received, till the inquiry is finally concluded and the Report submitted.

5. The authorities/management/employer shall regularly conduct orientation programmes, workplace, seminars and awareness programmes to upskill members of the ICCs/LCs/ICs and to educate women employees and to educate women employees and women's group about the provision of the Act, the Rules and relevant regulation.

2. मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन प्रश्नगत सिविल अपील में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् किया जाना है :

(i) 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप अधिनियम की धारा–4 के अन्तर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा "आंतरिक परिवाद समिति" (ICC) का गठन करेगा परन्तु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें भिन्न–भिन्न स्थानों या खंडीय या उपखंडीय स्थलों पर स्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक जिलाधिकारी के द्वारा ऐसे स्थापनों में जहाँ दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई हो, या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो, वहां 'स्थानीय परिवाद समिति' (LCC) का गठन किया जायेगा।

(iii) आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित किये जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर वरिष्ठ स्तर की नियोजित महिला होगी परन्तु किसी वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध न होने की दशा में पीठासीन अधिकारी अधिनियम की उपधारा–1 में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नाम निर्देशित किया जायेगा परन्तु यदि कार्यस्थल के अन्य कार्यालय या प्रशासनिक एककों में कोई वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं है तो पीठासीन अधिकारी उसी नियोजक के किसी अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं, या जिनके पास समाज सुधार के कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है।

(ग) गैर सरकारी संगठनों या संगमों से ऐसे एक सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से सम्बन्धित

Scanned with CamScanner

मुद्दों से परिचित है परन्तु इसें प्रकार नाम निर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलायें होंगी।

(घ) आन्तरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिये पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(iv) गठित आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/समितियों में नाम निर्दिष्ट अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों का विवरण, उनके ई–मेल आई0डी0 एवं दूरभाष का विवरण, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आंतरिक पालिसी इत्यादि का विवरण प्रत्येक प्राधिकारी, संस्था की वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जाय।

(v) उपर्युक्त कार्यवाही शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायों (All the Statutory bodies of Professionals) यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखक, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञ को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स आदि के द्वारा भी की जाय।

(vi) अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित ICCs/LCs/ICs के सदस्यों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराने एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट/जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार सम्पादित किये जाने के विषय से अवगत कराये जाने हेतु तत्काल व प्रभावी कदम उठाये जाय।

(vii) आन्तरित परिवाद समितियों/स्थानीय समितियों/आन्तरिक समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के सम्बन्ध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाय।

3. सूच्य है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 09 दिसम्बर, 2013 को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' प्रख्यापित किया गया है। यह अधिनियम प्रख्यापन की तिथि से पूरे भारत वर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम के प्रभावी कियान्वयन हेतु शासन के पत्र संख्या–1मु0मं0/60–3–14–13(7)/14, दिनांक 09.06.2014 द्वारा निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में अपेक्षित स्तरों पर आन्तरिक परिवाद समितियों/स्थानीय परिवाद समितियों के गठन की कार्यवाही अतिशीघ्र कराने तथा अधिनियम के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा करते हुये समय–समय पर वांछित समितियों के गठन तथा शिकायतों के निस्तारण के निर्देश भी दिये गये हैं।

Scanned with CamScanner

023

4. अस्तु, कृपया मा0 उच्चतन न्यायालय में विचाराधीन Civil Appeal No.2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa & Ors. में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2023 (प्रति संलग्न) द्वारा दिये गये निर्देशों का यथाशीघ्र अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,
Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 06-07-2023 17:59:05
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0 को सार्वजनिक उपकमों/निगमों के सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को श्रमिकों, औद्योगिक कर्मचारियों एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सन्दर्भ में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्रमुख सचिव, शिक्षा, उ0प्र0 शासन को विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक/बेसिक शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को समस्त नगर निकायों में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
5. नियन्धक, सोसाइटीज चिट फण्ड, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने कार्यालय में पंजीकृत समस्त फर्म एवं संगठनों में आन्तरिक परिवाद समिति (ICC) का नियमानुसार गठन कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. अध्यक्ष, बार काउन्सिल, उत्तर प्रदेश।
7. उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

Scanned with CamScanner

प्रारूप

उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 2482/2014 Aureliano Fernandes Vs State of Goa Ors. में दिये गये निर्देशों के कम में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम–2013' के संबंध में अपेक्षित सूचना का प्रारूप :–

विभाग का नाम–

क्र. सं.	विवरण	हाँ	नहीं	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1	क्या आपके विभाग के अधीनरथ समस्त कार्यालयों में अधिनियम 2013 की धारा–4 के अनुरूप नियमानुसार आन्तरिक परिवाद समितियां गठित हैं?	✓		
2	क्या उपरोक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समितियों में नाम निर्दिष्ट पीठासीन अधिकारी एवं सदस्यों के ई मेल आई0डी0 एवं दूरभाष संख्या, आनलाइन शिकायत दर्ज करने की प्रकिया, संगत नियमों, उप नियमों तथा आन्तरिक पालिसी इत्यादि का विवरण आपकी वेबसाइट पर उपलब्ध है?		✓	
3	क्या शीर्ष स्तर और राज्य स्तर पर विषय विशेषज्ञों से सम्बन्धित सभी सांविधिक निकायों यथा–डाक्टरों, वकीलों, आर्किटेक्ट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, आय–व्यय लेखकार, इंजीनियर्स, बैंकर्स व अन्य विषय विशेषज्ञों को विनियमित करने वाले अभिकरणों के अतिरिक्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, प्रशिक्षण केन्द्रों और शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों/नर्सिंग होम्स के द्वारा अधिनियम, 2013 के प्राविधानों के अनुरूप आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन करते हुये उसका विवरण इत्यादि वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है ?		✓	
4	क्या आपके विभाग के अधिकारियों/प्रबन्धकों/नियोक्ताओं द्वारा अपने कार्यालयों में गठित आन्तरिक परिवाद समिति के सदस्यों को उनके कर्तव्यों एवं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार जांच की कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की सम्पूर्ण प्रकिया को नियमानुसार संपादित किये जाने के विषय से अवगत कराया गया है?	✓		
5	क्या आपके विभाग के अधीनरथ गठित समस्त आन्तरिक परिवाद समितियों के सदस्यों के क्षमतावर्धन एवं कार्यालयों में कार्यरत महिला कार्मिकों एवं महिला समूहों को अधिनियम, 2013 एवं संगत नियमों के संबंध में शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु निरन्तर अभिमुखीकरण कार्यक्रमों, सेमिनार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है?	✓		

टिप्पणी–कृपया उपरोक्त सभी सूचनायें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर

(सुनील कुमार [illegible])
अनु सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
उ0 प्र0 शासन।

Scanned with CamScanner

List of Prisiding Officer and Members

Name	Email ID	Designation	
Sq Ldr Madhu Mishra ZSKO Unnao	zsaun-up@nic.in	Presiding Officer	7839553276
Rekha Roy PA Grade-2	rekha.r02@up.gov.in	Chairman	9335046349
Shikha Abrol Steno	shikha.71971@ up.gov.in	Member	7839553203
Smt Zahirunnisa Urdu Anuvadak Seh Pradhan Sahayak	z.nisa22@ up.gov.in	Member	7499214549
Smt Tara Devi Varisth Sahayak	t.devi01@ up.gov.in	Member	8960021234